न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 50 / 2024

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. मांगीदेवी पुत्री स्व0 पूनमाराम पत्नी देदाराम जाट निवासी– शक्तिनगर, टाकूबेरी, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. मूलीदेवी पत्नी स्व0 पूनमाराम 2. नाथाराम पुत्र मेघाराम 3. पारूदेवी पत्नी लाधाराम 4. हरखाराम पुत्र लाधाराम 5. हिमताराम पुत्र लाधाराम 6. मिरगो पत्नी भेराराम 7. बाबूलाल पुत्र भेराराम 8. सताराम पुत्र भेराराम जातियान जाट निवासी– शक्तिनगर, टाकूबेरी, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 9. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, सिणधरी।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 30.04.2024 जो जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 45 / 2023 अनवान मांगीदेवी बनाम तहसीलदार सिणधरी वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री एन.के.चाण्डक, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 8 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राज. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18 मार्च, 2025

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 45 / 2023 अनवान मांगीदेवी बनाम तहसीलदार सिणधरी में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2024 के विरूद्ध दिनांक 20.05.2024 को न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थीनी के पिता स्व0 श्री पूनमा पुत्र मेघा की सहखातेदारी की भूमि ग्राम टाकूबेरी वर्तमान ग्राम शक्तिनगर के ख0सं0 188 रकबा 0.02

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बीघा व ख0सं0 189 रकबा 122.09 बीघा स्थित है। पूनमाराम का देहान्त वर्ष 1993 में हो गया। मृतक खातेदार पूनमाराम की अपीलार्थीनी पुत्री है तथा रेस्पो0 संख्या एक मूलीदेवी उनकी पत्नी है तथा दोनों पूनमाराम की प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है। इनके अलावा मृतक खातेदार के अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मृतक खातेदार स्व0 पूनमाराम के देहान्त के उपरान्त फौतेदगी नामा0 संख्या 157 दिनांक 5.10.1993 को रेस्पो0 संख्या एक ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी हल्का के द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान की कोई जॉच नहीं की गई और न ही अपीलार्थीनी को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस दिया गया और एकपक्षीय नामा0 रेस्पो0 संख्या एक के नाम पारित कर दिया गया। उक्त नामा0 विधि में शून्य है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान जिला कलेक्टर, बालोतरा ने अपीलार्थीया की प्रथम अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार का निर्णय किये बिना ही अपील को मात्र मियाद बाहर मानकर दिनांक 30.4.2024 के आदेश के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीया ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

4. अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया की ओर से पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र को खण्डन करने के अलावा कोई भी शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा शपथपत्र अखण्डित होने से उसमें वर्णित तथ्यों को प्रथम अपीलीय न्यायालय को स्वीकार किया जाना आवश्यक था। जिला कलेक्टर ने उक्त तथ्यों की ओर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि निरस्त योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया की प्रथम अपील को गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील को मियाद बाहर होने का आदेश देने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच किये बिना ही व अपीलार्थीनी पुत्री को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है, जो कि शून्य आदेश है जिसमें मियाद का बिन्दू गौण होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को घोषणात्मक दावा प्रस्तुत कर अपने अधिकार घोषित करवाने के आधार पर अपील को अस्वीकार करने में विधिक भूल की है। अपीलार्थीया जो कि खातेदार की पुत्री एवं प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है, उन्हें खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योकि अपने पिता के देहान्त के उपरान्त उनकी खातेदारी भूमि में खातेदार काश्तकार हो गई है। अपीलाधीन नामा0 पारित करने में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की जॉच करने का दायित्व तहसीलदार का था तथा मात्र मृतक खातेदार की पत्नी के अकेली के नाम फौतेदगी नामा0 दर्ज किया जाना विधि के विरूद्ध था। तहसीलदार के द्वारा इस सम्बन्ध में अपीलार्थीया को अपना पक्ष रखे जाने अवसर नहीं दिया जाना प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अन्त में यह भी कथन किया कि अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.4.2024 एवं नामा0 संख्या 157 दिनांक 05.10.1983 को तथा उसके पश्चातवृति समस्त नामान्तरकरणों को निरस्त किये जाने तथा मृतक खातेदार स्व. पूनमाराम के समस्त वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण किये जाने हेतु प्रकरण सम्बन्धित तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

7. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस पेश करते हुए यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2024 में माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि "चूंकि नामान्तरकरण को फैसल हुए लगभग 30 वर्ष का समय हो चुका है। साथ ही नामान्तरकरण फिसकल प्रकिया है। अतः उक्त अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश होने व घोषणा के दावे की श्रेणी के मामलों की कोई मियाद नहीं होने के कारण न्यायोचित होगा कि उक्त मामले में सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा दर्ज करवाकर, अपीलान्ट अपने हिस्से बाबत् घोषणा करवाये। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र विधि के बिन्दू पर यानि 30 साल के बाद आदेश को चुनौती देने के आधार पर व अधिक लार्जर स्कॉप के वाद घोषणा का वाद अपीलान्ट अपना अधिकार अधिनिर्णित करवा सकता है, की आजादी देते हुए अपील खारिज की गई है जो कि पूर्णतया विधि सम्मत है।

8. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि घोषणात्मक वाद में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अधिकारों के बारे में निर्णय ज्यादा विधि सम्मत तरीके से किया जाता है। यदि यह माना जाये अथवा अपीलान्ट का यह कथन है

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कि वो अधिकार रखती है तो ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको घोषणा का दावा किये जाने की लिबर्टी देना ज्यादा न्यायोचित है। ऐसी अवस्था में अपील अपीलान्ट पूर्णतया सारहीन है। अपीलार्थीया मांगीदेवी की उम्र 75 वर्ष के लगभग है वो पूर्णतया निरक्षर है तथा उसे इस वादग्रस्त सम्पदा से कोई लेना देना नहीं है और न ही वो कोई अधिकार रखती है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अधीनस्थ न्यायालय का अथवा न्यायालय का एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर यह अपील पेश की गई है। अपीलान्ट ने नामान्तरकरण दिनांक 5.10.1983 को चुनौती दिनांक 25.11.2022 को यानि 30 वर्ष के बाद दी है। इस घोर अक्षम्य देरी से यह अपील पेश करने का क्या औचित्य है जिसमें न्यायालय संतुष्ट हो सके, ऐसा एक शब्द भी नहीं बताया है।

9. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीया को घोषणा का दावा पेश करने के आदेश की पालना में अपीलार्थीया मांगीदेवी ने घोषणा का दावा राजस्व वाद संख्या 102/2022 सहायक कलेक्टर सिणधरी में दिनांक 7.12.2022 को पेश कर दिया है। ऐसी अवस्था में उस आदेश को अपील में चुनौती देना किसी भी रूप से विधि सम्मत नहीं है तथा श्रीमान न्यायालय इस अपील पर विचारण कर ही नहीं सकता है। अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय व द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष घोषणा का दावा पेश किये जाने के तथ्यों को छिपाया है।

10. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीया ने उक्त तथ्यों को छुपाया है तथा भ्रमित करते हुए बिना अधिकारिता के यह अपील पेश की है। अपीलार्थीया ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.4.2024 में विधिक रूप से तथ्यात्मक रूप से अथवा अन्य किसी भी प्रकार से क्या कमी है, यह नहीं बताया है तथा इस आदेश में श्रीमान अपील न्यायालय दखल करे ऐसा कोई ठोस विधिक कारण अथवा आधार नहीं बताया है। अपीलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 30 वर्षो की देरी से क्यों आई है, इसका कोई संतोषजनक व तार्किक मानने योग्य कारण नहीं बताया है।

11. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील को मियाद बाहर होना मानते हुए अस्वीकार की गई है, वो विधि के अनुरूप होने से तथा उचित पारित होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अपील को खारिज की जावे। अतः रेस्पोडेन्ट के द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि समस्त अभिवचनों, विधि के बिन्दुओं एवं न्यायिक व्यवस्था की विवेचना के बाद अपीलान्ट की यह अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज फरमाई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जावें। रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय नजीरें अवलोकनार्थ पेश की गई यथा एआईआर 2012 (एससी) पेज 41, एआईआर 1998 (एससी) पेज 2276, एआईआर 1977 (एससी) पेज 627, 2024 (4) सीसीसी (राज) पेज 61, 2004 डब्लूएलसी (राज) पेज 657, एआईआर (राज) पेज 216, 2019 एआईआर (एससी) पेज 1423, 2012 (2) डीएनजे पेज 781, 2011(2) डीएनजे पेज 903, 2007(1) डब्लूएलसी (राज) पेज 638, 2017 (3) डब्लूएलएन (राज) पेज 283, 2014 (1) डीएनजे (राज) पेज 405, 2014 (3) डब्लूएलएन (राज) पेज 396, 2014 डीएनजे (एससी) पेज 561, एआईआर 2010 (एससी) पेज 3043, 2010 (2) एससीसी पेज 114, 2006 (4) सीसीसी (एससी) पेज 407, 2016 (1) डब्लूएलसी (राज)(यूसी) पेज 571, 2014 डीएनजे (एससी) पेज 561, एआईआर 2010 (एससी) पेज 3043, 2010(2) एससीसी पेज 114, 2006 (4) सीसीसी (एससी) पेज 407, 2016 (1) डब्लूएलसी (राज0) पेज 571 इत्यादि पेश की गई जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

12. हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत निर्णय नजीरों तथा अपीलाधीन आदेश इत्यादि का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि वादग्रस्त खसरा भूमि के सहखातेदार श्री पूनमाराम के देहान्त के उपरान्त फौतेदगी नामा0 संख्या 157 दिनांक 5.10.1993 को रेस्पो0 संख्या एक ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। उपरोक्त एकपक्षीय रूप से स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलार्थीया के द्वारा प्रथम अपील जिला कलेक्टर, बालोतरा न्यायालय के समक्ष पेश की गईं। विद्वान जिला कलेक्टर, बालोतरा ने अपीलार्थीया की प्रथम अपील को मियाद बाहर होना मानकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.4.2024 के द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गई।

13. अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि सहखातेदार पूनमाराम के देहान्त के उपरान्त दायर किये गये फौतेदगी नामान्तरकरण में श्री पूनमाराम के सभी वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्रतिपादित किये गये विभिन्न सिद्धान्तो के अनुसार आवश्यक था परन्तु तहसीलदार के द्वारा श्री पूनमाराम की पत्नी एवं उनके पुत्र के नाम दायर करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जबकि अपीलार्थीया उनकी पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

थी, जिससे वादग्रस्त पैतृक भूमि में उन्हें जन्म से अधिकार प्राप्त हो गये थे। अपीलार्थीया को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में गुणावगुण पर निर्णित नहीं की जाकर मात्र मियाद के तकनीकी बिन्दू पर अपील को खारिज कर दिया गया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

14. इस सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किये गये विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार किसी खातेदार की पैतृक सम्पति में उनके सभी वारिसान का समान अधिकार जन्म से ही निहित रहता है। खातेदार स्व. श्री पूनमाराम की मृत्यु के उपरान्त फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान की जॉच अपेक्षित थी, जो कि राजस्व कार्मिकों के द्वारा नहीं की गई है। मृतक खातेदार की खातेदारी वाली भूमि में सभी विधिक वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, जो अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते समय नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जो निर्णय नजीरें पेश की गई है, वो ऐसे प्रकरणों पर लागू नहीं मानी जा सकती है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में उपरोक्त सभी तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2024 एवं नामा0 संख्या 157 स्वीकृति दिनांक 05.10.1993 को निरस्त किया जाकर उभय पक्षकारान की सुनवाई के पश्चात पुनः नये सिरे से नामा0 आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

15. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 तथा तहसीलदार, गुडामालानी के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 05.10.1993 को निरस्त किया जाकर प्रकरण वर्तमान तहसीलदार, सिणधरी को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के मृतक खातेदार पूनमाराम के समस्त वारिसान की विधिवत जॉच करने तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 18 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर